# FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

तनिषा वगैरह बनाम भागीरथ वगैरह

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 108/2021

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 19-01-23 | पत्रावली पेश हुई। बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं0 1 अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे स्थगन प्रार्थनापत्र खारिज करने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। जिसमें न्यायालय का निष्कर्ष है कि वादगत भूमि पुश्तैनी है अथवा स्वअर्जित व हक–हिस्सा आदि का निर्धारण मूलवाद में मैरिट पर सुनकर किया जाना है एवं पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादगत भूमि के संबंध में मूलवादपत्र में अंतिम निस्तारण तक स्थगन जारी करना न्यायोचित है ताकि मुकदमेबाजी को बढ़ावा ना मिले ताकि पक्षकारों को कानूनी पेचिदगियो का सामना ना करना पड़े इसलिए धारा 212 आरटीएक्ट के प्रावधानों एवं धारा 151 की में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे मूलवाद के निस्तारण तक इस पत्रावली में चक 43 केवाईडी बी के मु0नं0 101/16 की 6.1960 है0 क0/अ0क0 भूमि के 1/3 हिस्से पर दिनांक 13.08.2021 को पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा (स्थगन) आदेश को मूलवाद के फैसले तक स्थाई किया जाता है। अतः उभयपक्ष मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व रिकॉर्ड में यथास्थिति कायम रखें। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो। | |